

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Shayama prasad Gupta
Misc token no. Serial no. *11602*

Year

Date

Received from

14-12-77

Following fees:

F (i)- 0

F (iii)- 0

G- 0

F (ii)- 0

F (iv)- 0

G(a)- 0

Total- 0

100

[Signature]
Registering Officer

151277

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

19

આવેદન મંં

19

चूंक श्री.

अथाना सलाह गुप्ता व मोज्य

11602

14-12-17

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संस्वधारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संयुक्तियों और अवधारों के बारे में बही में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता. 2014-15 से ता. Till Date -

तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यवहारों और अवधारों का पता चला

चला है अतः

কলকাতা

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जाँच - कादम्पूर, घाणा ज. 39, सीकिल - 7, कार्ड - 7 रजिस्ट्रार - 29.4531 डिस् खलिगज 257 (पुराना) 161 (नया)								

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Chandra*

(पदनाम): *ADC*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *श्री*

(पदनाम): *L.A.C.*

कार्यालय: *ठागापुर*

तारीख: *15-12-17*



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

☒ क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

☒ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँड़े गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँड़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की झूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, निबंधन *ठागापुर*

ज्ञाप संख्या: *5551*

दिनांक: *16-12-17*

आवेदक श्री *अग्रणी मल्लिकार्जुन क अन्न मिल*

का ऋणभा *(Agram) Agri Home Real marketing Pvt. Ltd.*

Budda Colony Patna

का उनके पत्र संख्या: *14/11/17* के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

hujn
निबंधन पदाधिकारी
15-12-17